

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 अगस्त 2023—भाद्र 1, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023

शुद्धि-पत्र

क्र.14184-173-इक्कीस-अ(प्रा).- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 248, दिनांक 11 अगस्त, 2023 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 21, सन् 2023) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं :-

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं	
(1)	(2)	(3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) धारा 109 के स्थान पर नई धारा का स्थापन.	496	19	धारा 109 का स्थापन.
(2) नई धारा 158ए का अन्तःस्थापन	496	28	धारा 158ए का अन्तःस्थापन
(3) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम	496(1)	6	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
(4) धारा 16 में	496(1)	16	धारा 16 में,
(5) जोड़े जाएं	496(1)	21	जोड़े जाएं
(6) (चक)	496(2)	8	(च क)

(1)	(2)	(3)	
(7) विहित की जाए.	496(2)	21	विहित की जाए.”
(8) विवरणी	496(3)	21	विवरण
(9) विवरणी	496(3)	22	विवरण
(10) अनुमति	496(3)	22	अनुमति
(11) धारा 109 के स्थान पर नई धारा का स्थापन.	496(4)	द्वितीय पार्श्व शीर्ष	धारा 109 का स्थापन.
(12) के स्थान पर	496(4)	13	के स्थान पर,
(13) नई धारा 158ए का अन्तःस्थापन	496(6)	प्रथम पार्श्व शीर्ष	धारा 158ए का अन्तःस्थापन.
(14) the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act.	496(8)	6	the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017.
(15) Section 123	496(9)	6	section 23
(16) Amendment of section 109.	496(11)	Marginal heading of section 14	Substitution of section 109.
(17) omitted;	496(12)	15	omitted;
(18) omitted;	496(12)	19	omitted;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.